Ph.No. 0151 - 2540028 (O)
2549348 (Fax)
regrajuvas@gmail.com

पशुधनं नित्य सर्वलोकोपकारकम्

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F. (290)/ RAJUVAS /Reg./Gen /2018/ 160 Dated: 7-3-18

कार्यालय आदेश

अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष, पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर के आदेश क्रमांक 1492 दिनांक 03.02.2018 द्वारा गठित निरीक्षण दल की रिपोर्ट एवं अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष की अभिषंशा के आधार पर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त सती जाब्दे वेटरनरी कम्पाउंडर ट्रेनिंग इस्टीट्यूट जो पूर्व में सती जाब्दे पब्लिक हेल्थ एंव एज्यूकेशन ट्रस्ट, भिवानी (हरियाणा) द्वारा ग्राम जनकसिंहपुरा पोस्ट नीमराना (अलवर) में किराये के भवन में संचालित किया जा रहा था, को ग्राम ततारपुर पोस्ट ततारपुर जिला अलवर में संस्था को स्वयं की भूमि एवं भवन में स्थानान्तरित/संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे है।

(हेमन्त दाधीच)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव–कुलपति, राजस्थान पशुचिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अधिष्ठाता एवं संकायाध्यक्ष, पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
3. समन्वयक, ए.एच.डी.पी.,...
4. सचिव, सती जाब्दे पब्लिक हेल्थ एंव एज्यूकेशन ट्रस्ट, शिव मन्दिर के पास, कितीनगर, भिवानी (हरियाणा)
5. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर।
6. अनुभाग अधिकारी, मीटिंग शाखा, राजस्थान पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि जारी आदेश का अनुमोदन हेतु शैक्षणिक परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत करावें।

कुलसचिव

File no-46

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग

क्रमांक:प.2(13)पपा–2000/पार्ट ।। जयपुर, दिनांक:16.3.2005

विषयः– निजी क्षेत्र में संचालित पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्वीकृति बाबत।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 में कुल 44 पशुधन सहायक प्रशिक्षण विद्यालयों को स्वीकृति दी गई थी। उक्त प्रशिक्षण विद्यालयों की काउन्सिलिंग पूर्ण होते ही श्री अमर ज्ञान विद्यालय समिति, बीकानेर द्वारा मा0 राज0 उच्च न्यायालय, जयपुर में याचिका संख्या 5908/2003 दायर की गई, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, राज0 की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर निर्देश दिये गये कि याची के प्रतिवेदन पर कमेटी सुनवाई कर जो जो विद्यालय राज्य सरकार के मापदण्ड पूर्ण करते हों, उनको प्रशिक्षण विद्यालय प्रारम्भ करने की अनुमति दी जावें ।

मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता वाली समिति ने सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित कर इन संस्थाओं की पुनः निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर जो संस्थाएं विभागीय मापदण्डों के अनुरूप पायी जावें, को प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति देने की अभिशंषा की।

राज्य सरकार को जिला स्तरीय समिति से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन का परीक्षण करने के उपरान्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.12.04 की निरंतरता में निम्नलिखित संस्थाओं को पशुधन सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	जिला	संस्था का नाम	स्थान
1	अलवर	सती जावदे पब्लिक हैल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट	नीमराणा, अलवर
2	दौसा	स्वामी लालतानन्द शिक्षा समिति, दौसा।	दौसा
3	दौसा	राजस्थान ग्रामोद्योग विकास संस्थान, बांदीकुई	बांदीकुई, दौसा

ये स्वीकृतियाँ माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. संख्या सी.सी. 11335–11336/2004 में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन होंगी। साथ ही इन प्रशिक्षण विद्यालयों द्वारा विभागीय निरीक्षण में विभागीय मापदण्डानुसार स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाना नहीं पाया जावेगा तो उस दशा में ऐसी संस्था की स्वीकृति निरस्त की जाकर आवंटित छात्रों को अन्य विद्यालयों में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

ह0
(एम0 एल0 जागिड़)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय पशुपालन मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान ।
5. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
6. अध्यक्ष/सचिव, सम्बन्धित संस्था सती जावदे पब्लिक हैल्थ एण्ड एजुकेशन ट्रस्ट, नीमराणा (अलवर)
7. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव